



BREAKING NEWS

MPSC ने 21 दिसंबर की प्रीलिम्स स्थगित की — मतगणना के कारण परीक्षा अब 4 जनवरी और 11 जनवरी को



मुंबई — Maharashtra Public Service Commission (MPSC) ने 21 दिसंबर को होने वाली अपनी प्रारंभिक परीक्षा (गट-ब व गट-क) को स्थगित कर दिया है, क्योंकि उसी दिन राज्य में नगरपालिकाओं व नगरपंचायतों की मतगणना होनी है।

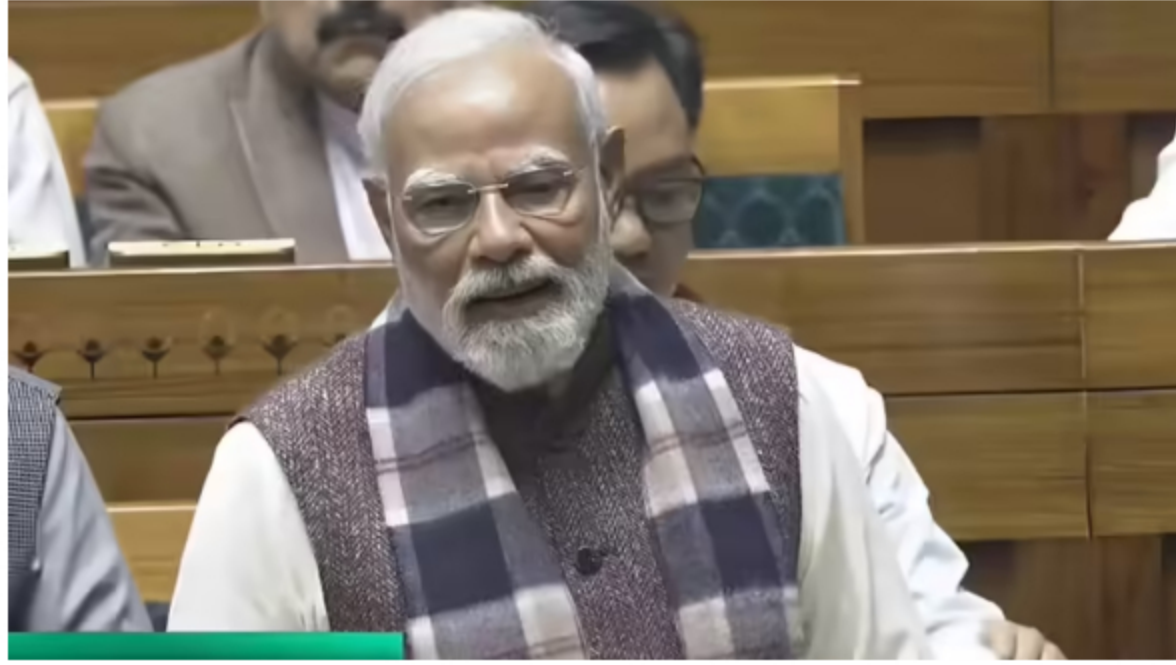
नए शेड्यूल के अनुसार, गट-ब की परीक्षा अब 4 जनवरी 2026 और गट-क की परीक्षा 11 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा स्थगित होने से अनेक अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा व मतदान-परिणाम के टकराव की समस्या टली है; आयोग ने सभी से अनुरोध किया है कि वे संशोधित तिथियों के अनुसार अपनी तैयारी जारी रखें।

लोकसभा | **अमित शाह के दिए भाषण की पीएम मोदी ने की जमकर तारीफ**

लोकसभा में अमित शाह के दिए भाषण की पीएम मोदी ने की जमकर तारीफ, जानें क्या कहा

नई दिल्ली | गृहमंत्री अमित शाह ने आज संसद में SIR के मुद्दे पर कांग्रेस का जमकर घेराव किया। अमित शाह ने कहा कि एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया है। गृहमंत्री के इस भाषण की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की है। पीएम मोदी ने गृह मंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि उनका भाषण शानदार था।

विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश- पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का शानदार भाषण। उन्होंने ठोस तथ्यों के



साथ हमारी चुनावी प्रक्रिया के अलग-अलग पहलुओं, हमारे लोकतंत्र की ताकत पर प्रकाश डाला और विपक्ष के झूठ का भी पर्दाफाश किया। नेहरू पर भी शाह ने साधा निशाना गृह मंत्री शाह ने कहा कि मैं आपको वोटर चोरी की घटनाओं के बारे में बताना चाहूंगा। पहला है आजादी के बाद देश का PM चुना जाना था।

सरदार पटेल को 28 वोट मिले और जवाहरलाल नेहरू को 2 वोट मिले, लेकिन जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने।

घुसपैठिए को वोट नहीं देने देंगे | विपक्षी सांसदों के वॉकआउट के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि वे 200 बार बॉयकॉट करें, लेकिन हम इस देश में एक

भी घुसपैठिए को वोट नहीं देने दिया जाएगा। मैं घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के बारे में बोल रहा था। मैंने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उनके (राहुल गांधी के) पिता, सोनिया जी पर कई आरोप लगाए, अगर वे उस समय वॉकआउट कर देते, तो यह सही होता। वे घुसपैठियों के मुद्दे पर वॉकआउट कर गए। हमारी पॉलिसी है 'पता लगाओ, हटाओ और देश निकाला दो'। उनकी पॉलिसी है 'घुसपैठ को नॉर्मल बनाओ, उन्हें पहचान दो, चुनाव के दौरान उन्हें वोट लिस्ट में शामिल करो।



**नयी 'महाराष्ट्र मद्य' नीति पर कानूनी लड़ाई

मुंबई:** राज्य सरकार द्वारा पेश की गई "Maharashtra मद्य श्रेणी" को अब बड़े मद्य उत्पादक ब्रांडों ने Diageo और Pernod Ricard के नेतृत्व में Bombay High Court में चुनौती दी है। उनका दावा है कि यह नई श्रेणी "कृत्रिम प्रतिस्पर्धा" पैदा करती है, जिससे समान व्यावसायिक अवसरों के सिद्धांत का उल्लंघन होता है।

सरकार ने यह "Maharashtra-made liquor" श्रेणी उन बंद या लापरवाही से कार्यरत घरेलू मद्य उत्पादक कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए शुरू की थी। इसके तहत ब्रांड लेने वालों को महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए, विदेशी निवेश न होना चाहिए और ब्रांड नया होना चाहिए — जिसका फायदा ज्यादातर स्थानीय कंपनियों को हुआ

है, और बड़े ब्रांड प्रभावित हुए हैं। नयी नीति लागू होते ही लगभग २५ कंपनियों ने आवेदन किया; इनमें से १३ को लाइसेंस मिले, और ७ ने उत्पादन शुरू किया। वहीं पारंपरिक बड़े ब्रांडों को करीब ४० प्रतिशत की बिक्री गिरावट का सामना करना पड़ा है, जैसा कि याचिकाओं में बताया गया है। बड़े मद्य उत्पादकों का कहना है कि राज्य ने उनकी ब्रांड वैल्यू और निवेश को नजरअंदाज कर छोटी घरेलू कंपनियों को वरीयता दी, जिसे वे अनुचित एवं संवैधानिक रूप से गलत मानते हैं। अब अदालत इस नीति की संवैधानिकता पर फैसला करेगी, जो महाराष्ट्र के मद्य उद्योग व राजस्व तंत्र दोनों के लिए निर्णायक हो सकता है।

SIR बैकडोर से NRC है... चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान लोकसभा में ओवैसी का बड़ा दावा

NEWS AGENCY

नई दिल्ली: एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने SIR पर चर्चा के दौरान चुनाव आयोग पर संसद के बनाए नियम और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग ने पब्लिक डोमेन ऑर्डर डाले बिना 35 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काट दिए। हम एसआईआर का विरोध करते हैं।

लोकसभा में, चुनाव सुधार पर चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) संसद की ओर से बनाए गए कानून का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा, 'यह उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से 'लाल बाबू हुसैन' मामले में दिए गए फैसले का उल्लंघन करता है।' ओवैसी ने लोकसभा में मुस्लिम सांसदों की कम संख्या पर अफसोस जताया।



SIR बैकडोर से NRC है...

उन्होंने कहा कि डॉ भीमराव आंबेडकर ने बार-बार कहा था कि राजनीतिक सत्ता सामाजिक प्रगति की कुंजी है। एआईएमआईएम सांसद ने कहा, 'यहां केवल चार प्रतिशत मुसलमान हैं। सत्तारूढ़ पार्टी में कोई मुस्लिम सदस्य नहीं है।' ओवैसी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा, 'मुसलमान यहां नहीं हैं, धर्मनिरपेक्ष पार्टियों में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर वायनाड जैसी मुस्लिम बहुल सीट से गैर-मुस्लिम चुने जा सकते हैं, तो रायबरेली, अमेठी और इटावा से मुस्लिम चुने जा सकते हैं।' कांग्रेस की प्रियंका गांधी और राहुल गांधी क्रमशः वायनाड और रायबरेली से लोकसभा सदस्य हैं, जबकि इटावा सपा का गढ़ रहा है।

'...कानून की शुचिता को तार-तार कर रहा है' उन्होंने आरोप लगाया कि 'फॉर्म 6' नियम संसद ने पारित किया है लेकिन चुनाव आयोग इस सदन की ओर से पारित किए गए कानून की शुचिता को तार-तार कर रहा है। ओवैसी ने एसआईआर का विरोध करते हुए दावा किया कि यह धर्म के नाम पर लोगों को मताधिकार से वंचित करने की कवायद है। उन्होंने कहा, 'मैं एसआईआर का विरोध करता हूँ क्योंकि यह पिछले दरवाजे से राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) तैयार करने जैसा है।' ओवैसी ने कहा कि वह सत्तारूढ़ भाजपा से आग्रह करते हैं कि देश में जर्मनी जैसी संसदीय व्यवस्था अपनाई जाए। उन्होंने यह भी कहा, 'हमें आम सहमति बनाकर वोट के अधिकार को मूल अधिकार बनाना चाहिए।'

EV Toll Free: इलेक्ट्रिक वाहनों से टोल वसूली गलत, महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने दिया रिफंड का आदेश

मुंबई | नागपुर: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, नागपुर-मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस वे और मुंबई में अटल सेतु पर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को टोल में छूट दी थी। इसके बावजूद भी टोल वसूली जा रही है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सरकार को आदेश दिया कि इन तीनों मार्ग पर ईवी गाड़ियों से टोल की वसूली बंद करें। शासनादेश के बाद भी जिन लोगों से टोल वसूल किया है उन्हें टोल की रकम वापस की जाए। साथ ही अगले आठ दिनों के अंदर ईवी गाड़ियों को तीन मार्गों पर टोल की छूट लागू की जाए।

मंत्री भूसे ने दिया जवाब बुधवार को विधानसभा में अनिल पाटील सहित अन्य सदस्यों ने विधानसभा में ई-गाड़ियों के लिए टोल माफ करने से संबंधित सवाल उठाया। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे



(परिवहन संबंधी मामलों पर) की ओर से जवाब देते हुए मंत्री दादाजी भुसे ने कहा कि महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 के तहत, समृद्धि हाईवे, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और अटल सेतु रूट पर ई-गाड़ियों के लिए टोल माफी की पॉलिसी 23 मई 2025 को घोषित की गई थी और इसे 22 अगस्त 2025 से लागू किया गया। मंत्री भूसे ने कहा कि टोल छूट के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों के फास्टैग विवरण को वाहन (परिवहन पोर्टल) पर पंजीकृत करना और टोल प्रणाली के साथ एकीकृत करना आवश्यक

है। यह प्रक्रिया तीन महीने पहले शुरू हुई थी। कुछ मामलों में टोल वसूल किया गया है। हम जल्द ही ईवी गाड़ियों को टोल में छूट लागू करने का प्रयास करेंगे। स्पीकर ने दिया 8 दिन का समय इस पर विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने हस्तक्षेप किया और कहा कि यह नीति पहले से ही लागू है। अगर किसी एक इलेक्ट्रिक वाहन से भी टोल लिया जा रहा है, तो यह गैरकानूनी है। उन्होंने मंत्री भूसे को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि आठ दिनों के भीतर छूट प्रणाली पूरी तरह काम

करने लगे। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है और अपनी नीति के माध्यम से जनता को आश्वासन दे रही है। किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन पर टोल नहीं लगना चाहिए और टोल छूट अगले आठ दिनों में लागू की जानी चाहिए। साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों से एकत्र की गई राशि वापस दी जाए। भूसे ने कहा कि सरकार विधानसभा अध्यक्ष के निर्देशों का पालन करेगी। विधानसभा अध्यक्ष ने नार्वेकर ने राज्य में चार्जिंग स्टेशनों की कमी का मुद्दा भी उठाया और कहा कि ई-गाड़ियों के लिए कम से कम 120 kW की कैपेसिटी वाले फास्ट चार्जिंग स्टेशन बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि इस सिस्टम को तुरंत सुधारा जाना चाहिए क्योंकि अभी जो चार्जिंग स्टेशन हैं, उन पर गाड़ी चार्ज होने में आठ घंटे लगते हैं।

वरना अराजकता फैल जाएगी... SIR विवाद पर Supreme Court of India ने Election Commission of India और Mamata Banerjee सरकार को चेतावनी

नयी दिल्ली – पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान बूथ-स्तरीय अधिकारियों (BLOs) व अन्य कर्मियों को धमकियां दिए जाने और उनके काम में व्यवधान डालने की शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग और राज्य सरकार से पूछा है कि वे इस स्थिति पर क्या कार्रवाई करेंगे — यदि तुरंत कदम नहीं उठाए गए, तो “अराजकता” फैल सकती है।

बेंच — जिसमें चीफ जस्टिस Surya Kant और न्यायाधीश Joyimalya Bagchi शामिल थे — ने कहा कि SIR प्रक्रिया के दौरान BLOs का काम "इतना आसान नहीं" है, क्योंकि उन्हें घर-घर जाकर मतदाता जानकारी इकट्ठा करनी होती है और

फिर उसे अपलोड भी करना होता है।

चुनाव आयोग की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील ने कोर्ट को बताया कि आयोग के पास संवैधानिक अधिकार हैं — यदि राज्य सरकार सुरक्षा प्रदान नहीं करती है, तो वे स्थानीय पुलिस को डेप्युटेशन पर लेने पर विचार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि राज्य सरकार सहयोग नहीं करती, तो आयोग और राज्यों दोनों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा; ऐसे हालात में न्यायालय उचित आदेश देने को तैयार है। SIR प्रक्रिया से जुड़ी इन घटनाओं — धमकियां, BLO की सुरक्षा, और काम में दखल — से मतदाता सूची की विश्वसनीयता और चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा हो गया है।





Maharashtra Land Revenue Code (Second Amendment) Bill, 2025 — 60 लाख परिवारों को मालिकाना हक़: एक और लेख संपादकीय ... |

राज्य की राजनीति-प्रशासन में एक बार फिर बदलाव की हवा चली है। मंगलवार को Maharashtra Legislative Assembly ने यह महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित किया, जिसका उद्देश्य उन लाखों परिवारों को कानूनी जमीन का मालिकाना हक देना है जो छोटे-छोटे प्लॉट्स (गुंठेवारी या तुकड़े-भरी ज़मीन) पर रह रहे हैं। इस सुधार से अब लगभग 60 लाख परिवार यानी करीब 3 करोड़ नागरिक — जो दशकों से अनौपचारिक रूप से अपनी जमीन पर बने थे — को 7/12 (सातबारा) दस्तावेज़ों में अपना नाम दर्ज कराने का मौका मिलेगा।

विधेयक में क्या बदलाव हुए — सरल, सीधा और लोगों के पक्ष में इस नए संशोधन के बाद, शहरी इलाके में 5-10 गुंठा (लगभग 1,089 वर्ग फुट) या उससे छोटे भूखंडों के लिए अब बार-बार "एनए (गैर-कृषि) अनुमति" लेने की आवश्यकता नहीं होगी — यदि उस क्षेत्र का विकास या प्रादेशिक आराखड़ा (DP / Regional Plan) पहले से मंज़ूर है।

इस व्यवस्था के तहत, भू-प्लॉटों की खरीद-बिक्री करना और रजिस्ट्रेशन करवाना आसान हो जाएगा। छोटे भूखंड वाले लोगों को भूमि के मालिकाना हक़ की सहजता मिलेगी।

संशोधन यह तय करता है कि 15 नवंबर 1965 से 15 अक्टूबर 2024 तक हुए भू-हस्तांतरण को वैध माना जाएगा। यानी, उस अवधि के भीतर अगर ज़मीन बिना औपचारिक अनुमति के बंटाई या हस्तांतरण हुई थी, तो उसे नियमित किया जा सकेगा।

इस प्रकार, दशकों से पेंडिंग रहे मामलों को अब न्याय मिलने का रास्ता खुला है — एक बार "प्रीमियम" चुकाकर लोग अपने प्लॉट को कानूनी मान्यता दिला सकेंगे।

विरोध-संकेत और चुनौतियाँ — पूरी राहत नहीं हो सकती? हालाँकि विधेयक से बड़ी राहत की उम्मीद है, लेकिन विरोध के स्वर भी सुने गए। कुछ विधायक, जैसे Shiv Sena (UBT) के विधायक Bhaskar Jadhav ने कहा कि यह कदम "गरीबों के बजाय बिल्डर-लॉबी" को फायदा पहुंचा सकता है। उनका कहना था कि बड़े पैमाने पर प्लॉट्स का एनए व्यावसायिक या भवन-निर्माण के कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है।

दूसरी ओर, Indian National Congress के नेता Vijay Wadettiwar ने चेतावनी दी कि यदि नगर विकास योजनाएँ (जिनमें 9-मीटर सड़क, ड्रेनेज, बुनियादी सुविधाएँ शामिल हैं) पहले से नहीं होंगी, तो सिर्फ मालिकाना हक देने से सामाजिक-भौतिक समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

कुछ सांसदों ने यह भी अनुरोध किया कि इस लाभ को केवल शहरी इलाकों तक सीमित न रखें — बल्कि ग्रामीण या उप-नगरीय इलाकों में भी लागू किया जाए, जहाँ छोटे भूखंडों की स्थिति समान है।

आम जनता के लिए लाभ — सुरक्षा, पहचान और राहत यह सुधार उन नागरिकों के लिए विशेष रूप से राहत देने वाला है जिनके पास लंबे समय से जमीन पर घर या दुकान थी, लेकिन कानूनी दस्तावेज़ नहीं थे। अब उन्हें:

कानूनी पहचान — 7/12 पर्ची में अपना नाम दर्ज हो जाएगा।

लेन-देन आसान — जमीन बेचने, खरीदने या बैंक ऋण/अनुमति लेने में आसानी।

संपत्ति सुरक्षित — वर्षों से अनधिकृत भूमि-कब्जे या विवादों से निजात।

इतनी बड़ी मात्रा में परिवारों को यह सुविधा मिलना, सामाजिक न्याय और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को स्थिर करने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

लेकिन — सुधार कहाँ तक पर्याप्त है? यदि नगर योजनाएँ और बुनियादी सुविधाएँ (सड़क, पानी, नाली आदि) पहले से न हों, तो बस नाम दर्ज होना ही पर्याप्त नहीं — ज़रूरत होगी योजनाबद्ध विकास की।

बिल्डर-लॉबी या दावेदारों द्वारा इस छूट का दुरुपयोग हो सकता है, जिससे पुराने कलंकित ग्राम या आबादी-रहित जगहों पर अव्यवस्थित बस्ती बनने की आशंका है।

ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों के छोटे भूखंडों वाले लोगों को यह लाभ अभी तक स्वचालित नहीं मिलेगा — जब तक नियमों के दायरे में उन्हें नहीं लाया जाता।

निष्कर्ष: उम्मीदों का नया अध्याय, पर सावधानी ज़रूरी Maharashtra Government द्वारा पारित यह भूमि सुधार बिल — 2025 — एक सकारात्मक और ऐतिहासिक कदम है, जो लाखों परिवारों को उनकी जमीन की कानूनी मालिकाना स्थिति दिलाएगा। यह न केवल कागजी आसानी, बल्कि सामाजिक पहचान, आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण है।

लेकिन, परिवर्तन के साथ जिम्मेदारी भी आती है। सरकार, स्थानीय प्रशासन और नागरिक — तीनों को सावधानीपूर्वक योजना, पारदर्शिता व संवेदनशीलता के साथ इस बदलाव को लागू करना होगा। तभी यह सुधार असली मायने में "सामान्य आदमी के लिए राहत" बन पाएगा।

अनिल अंबानी | 13 बैंक खाते फ्रीज, क्या है आरोप?

अनिल अंबानी समूह की कंपनी पर कसा शिकंजा, 13 बैंक खाते फ्रीज, क्या है आरोप?

नई दिल्ली | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फेमा मामले में अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के एक दर्जन से अधिक बैंक खातों पर रोक लगा दी है। इन खातों में करीब 55 करोड़ रुपये जमा हैं। ईडी का आरोप है कि रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने अपनी विशेष प्रयोजन इकाइयों (एसपीवी) के जरिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से मिली राजमार्ग निर्माण परियोजनाओं के सार्वजनिक धन की हेराफेरी की। उसे अवैध रूप से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) भेज दिया। यह मामला 2010 में कंपनी को मिले जेआर टोल रोड (जयपुर-रींगस राजमार्ग) के निर्माण के ठेके से जुड़ा है।

ईडी ने रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के 13 बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगाई है। इनमें कुल 54.82 करोड़ रुपये हैं। कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि ईडी ने 77.86 करोड़ रुपये के बैंक खातों पर रोक लगाई है, जो फेमा के उल्लंघन से संबंधित है।

पिछले महीने अनिल अंबानी को बुलाया था ईडी ने पिछले महीने अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन, वह पेश नहीं हुए। अंबानी के प्रवक्ता ने कहा था कि यह पूरी तरह से घरेलू अनुबंध था जिसमें विदेशी मुद्रा का कोई लेन-देन नहीं था और जेआर टोल रोड का निर्माण पूरा हो



चुका है। 2021 से यह एनएचएआई के अधीन है। ईडी के अनुसार, कथित धोखाधड़ी के तहत मुंबई में फर्जी कंपनियों को धन हस्तांतरित किया गया। ये कंपनियाँ एक खास योजना के तहत बनाई गई थीं। इनमें फर्जी निदेशकों का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद पैसे को अन्य फर्जी कंपनियों के नेटवर्क के जरिये यूएई भेजा गया। यह सब पॉलिश और अनपॉलिश हीरे आयात करने के नाम पर किया गया, जबकि इसके बदले में न तो कोई सामान मिला और न ही कोई दस्तावेज है। जिन यूएई की कंपनियों को पैसा भेजा गया, उनके यूएई और हांगकांग दोनों में बैंक खाते थे।

जांच में क्या आया है सामने? जांच में पता चला कि इन कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय हवाला लेनदेन में शामिल लोग नियंत्रित करते थे। ईडी ने बताया कि जिन फर्जी संस्थाओं के

जरिए यह रकम गबन की गई, वे 600 करोड़ रुपये से अधिक के अंतरराष्ट्रीय हवाला लेनदेन में शामिल थीं।

इस कथित दुरुपयोग के कारण परियोजना निधि से प्रभावित एसपीवी गंभीर वित्तीय संकट में आ गई। इसके चलते बैंकों से लिए गए कर्ज गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में बदल गए। इससे कर्जदाताओं को नुकसान हुआ और सार्वजनिक वित्तीय हितों को खतरा पैदा हुआ।

यह पूरा मामला 2010 में रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर को मिले एक ठेके से शुरू हुआ। कंपनी को जेआर टोल रोड, यानी जयपुर से रींगस तक जाने वाले राजमार्ग के निर्माण का काम इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) अनुबंध के तहत सौंपा गया था। ईडी का आरोप है कि इस परियोजना के लिए मिले सार्वजनिक धन का गलत इस्तेमाल किया गया।

कैसे दिया गया हेराफेरी को अंजाम? ईडी ने अपनी जांच में पाया कि रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने अपनी विशेष प्रयोजन इकाइयों (एसपीवी) का इस्तेमाल करके एनएचएआई से प्राप्त धन को इधर-उधर किया। यह धन अवैध तरीके से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) भेजा गया। इस हेराफेरी को अंजाम देने के लिए मुंबई में कुछ फर्जी कंपनियाँ बनाई गईं। इन कंपनियों को फर्जी उप-अनुबंध व्यवस्थाओं के नाम पर पैसे भेजे गए। ईडी का कहना है कि ये कंपनियाँ एक खास योजना के तहत बनाई गई थीं और इनमें फर्जी निदेशकों का इस्तेमाल किया गया था।

इसके बाद यह पैसा अन्य फर्जी कंपनियों के एक नेटवर्क के जरिए यूएई भेजा गया। यह सब पॉलिश और अनपॉलिश हीरे आयात करने के बहाने किया गया। ईडी के अनुसार, इस सौदे में न तो कोई माल आया और न ही इससे जुड़ा कोई दस्तावेज मिला। जिन यूएई की कंपनियों को यह पैसा भेजा गया था, उनके यूएई और हांगकांग दोनों जगहों पर बैंक खाते थे। जांच में यह भी पता चला कि इन कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय हवाला लेनदेन में शामिल लोग चला रहे थे। ईडी ने कहा कि जिन फर्जी संस्थाओं के माध्यम से इस रकम का गबन किया गया, वे 600 करोड़ रुपये से अधिक के अंतरराष्ट्रीय हवाला लेनदेन में शामिल पाई गईं।

Airline News | सीईओ को हटा देंगे...

Ram Mohan Naidu Warning: सीईओ को हटा देंगे...इंडिगो को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, सरकार की यह कड़ी चेतावनी कैसी?



नई दिल्ली: नागर विमानन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने इंडिगो एयरलाइन को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वह एयरलाइन के सीईओ और सीओओ सहित शीर्ष नेतृत्व को पद से हटा देंगे। यह चेतावनी इंडिगो की लगातार हो रही फ्लाइट कैंसिलेशन और यात्रियों को हो रही परेशानी के चलते दी गई है। मंत्री ने साफ कहा कि इस पूरे संकट के लिए इंडिगो खुद जिम्मेदार है। यह उनकी आंतरिक गड़बड़ी का नतीजा है।

नायडू ने एक इंटरव्यू में कहा कि इंडिगो ने मंत्रालय के साथ कई बार बातचीत के बावजूद अपने क्रू और रोस्टरिंग सिस्टम को ठीक से मैनेज नहीं किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह सीईओ और सीओओ को बर्खास्त करेंगे तो उन्होंने जवाब दिया, 'अगर नौबत आई तो मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगा। मैं उन पर सभी तरह के जुर्माने लगाऊंगा।'

आपराधिक कार्रवाई की संभावनाओं पर विचार मंत्री ने यह भी कहा कि वह आपराधिक कार्रवाई की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। वह इस मामले में यात्रियों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रख रहे हैं। यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी परिचालन संबंधी विफलताएं दोबारा न हों। उन्होंने कहा कि वह एक ऐसा उदाहरण स्थापित करना चाहते हैं कि अगर कोई विमानन क्षेत्र के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मंत्रालय यात्रियों को राहत पहुंचाने के तरीकों पर भी विचार कर रहा है।

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इंडिगो की समस्याएं नई ड्यूटी नियमों के कारण नहीं हैं, बल्कि एयरलाइन की अपनी परिचालन संबंधी खामियों के कारण हैं। उन्होंने कहा, 'इंडिगो ने अपनी आंतरिक रोस्टरिंग प्रणाली को गड़बड़ कर दिया है।' उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पायलटों के लिए संशोधित ड्यूटी नियमों के लागू होने से पहले सभी एयरलाइनों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। मंत्रालय ने इंडिगो को इन नियमों के लागू होने के दौरान न तो नजरअंदाज किया और न ही कोई छूट दी।

इंडिगो को मामले में न छोड़ने की चेतावनी नायडू ने कहा कि वह इंडिगो को इस

मामले में बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। एयरलाइन का वर्तमान संकट उसके अपनी परिचालन संबंधी गलतियों का परिणाम है। उन्होंने सीधे तौर पर फ्लाइट कैंसिलेशन के लिए एयरलाइन के प्रबंधन की विफलता को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, 'इंडिगो ने अपनी आंतरिक रोस्टरिंग प्रणाली को गड़बड़ कर दिया है।' उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सभी एयरलाइनों को नियमों के लागू होने से पहले तैयारी के लिए पर्याप्त समय और बार-बार परामर्श दिया गया था।

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इसके परिणाम जल्द ही सामने आएंगे। उन्होंने कहा, 'मैं इंडिगो पर सभी लागू जुर्माने लगाऊंगा।' जब उनसे पूछा गया कि क्या मंत्रालय और नियामक संस्था ने कार्रवाई करने में देर कर दी तो नायडू ने जोर देकर कहा कि विमानन प्राधिकरण महीनों से सतर्क थे। उन्होंने कहा, 'नवंबर में अगर आप तथ्यों को ठीक से देखें तो ऐसे कुछ दिन थे जहां कैंसिलेशन बिल्कुल शून्य थे। हम न केवल इंडिगो के लिए, बल्कि सभी एयरलाइनों के लिए स्थिति की पूरी तरह से निगरानी कर रहे थे।'

यात्रियों की असुविधा से चिंतित सरकार 1,200 से अधिक इंडिगो उड़ानों के रद्द होने की रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए नायडू ने डेटा को ध्यान से पढ़ने का

आग्रह किया। उन्होंने खुलासा किया कि सरकार ने 1 दिसंबर 2025 को एयरलाइन के साथ नए ड्यूटी नियमों के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। उन्होंने कहा, 'हमने 1 दिसंबर 2025 को FDTL पर इंडिगो के साथ एक बैठक की थी। हमने इंडिगो को FDTL पर हमारे साथ बात करने का पूरा मौका दिया।'

उन्हे अनुसार, एयरलाइन ने स्पष्टीकरण मांगे थे, जिन्हें मंत्रालय ने अतिरिक्त परामर्श के बाद संबोधित किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, 'उसके बाद भी यह इंडिगो ही थी जिसने अपने आंतरिक क्रू प्रबंधन और क्रू रोस्टरिंग को गड़बड़ कर दिया। यही वह पॉइंट है जिसे मैं बनाना चाहता हूँ।'

मंत्री ने यह भी कहा कि मंत्रालय यात्रियों को हो रही असुविधा को लेकर चिंतित है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिगो को अपनी परिचालन संबंधी समस्याओं को तुरंत ठीक करना होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार विमानन क्षेत्र में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे।

WORLD NEWS | बांग्लादेश के पास वेतन देने तक के पैसे नहीं

बांग्लादेश के पास वेतन देने तक के पैसे नहीं, कर्मचारियों ने मोहम्मद यूनुस के वित्त सलाहकार को बनाया बंधक

ढाका | बांग्लादेश के वित्त सलाहकार डॉ. सालेहुद्दीन अहमद को बुधवार दोपहर उनके कार्यालय में ही बंधक बना लिया गया। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को नजरअंदाज करने के बदले उन्हें बंद कर दिया। सचिवालय की चौथी मंजिल पर प्रदर्शन किया और सलाहकार के कार्यालय के बाहर नाकाबंदी कर दी। कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि सभी स्टाफ को 20 प्रतिशत भत्ता दिया जाए।



वेतन-भत्तों की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारी

फरवरी 2025 में वित्त सचिव के साथ हुई बैठक में भी ये मांगें उठी थीं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बांग्लादेश में सरकारी कर्मचारियों की संख्या करीब 15 लाख है, और महंगाई (मुद्रास्फीति 9-10 फीसदी) के कारण भत्तों की मांग तेज हो गई है। यह घटना सरकारी सेवाओं में भ्रष्टाचार और उत्पीड़न की शिकायतों के बीच आई है, जहां सलाहकार ने पहले ही इन मुद्दों पर चिंता जताई थी। संगठनों की तीन मुख्य मांगें हैं। वे 9वां पे स्केल लागू कराना चाहते हैं, इसके अलावा सचिवालय भत्ता और सचिवालय राशन भत्ता शुरू कराने पर भी अड़े हैं।

यह घटना अंतरिम सरकार के गठन के बाद कर्मचारियों के बढ़ते असंतोष को दर्शाती है। बांग्लादेश के अखबार ढाका ट्रिब्यून ने इसे रिपोर्ट किया। बांग्लादेश सचिवालय अधिकारी एवं कर्मचारी संयुक्त परिषद के एक गुट के अध्यक्ष बदीउल कबीर ने इस विरोध प्रदर्शन

का नेतृत्व किया। उन्होंने ढाका ट्रिब्यून से कहा, "हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक सरकार गजट अधिसूचना जारी नहीं करती।" परिषद के महासचिव निजाम उद्दीन अहमद ने सलाहकार को ज्ञापन सौंपा था। 10 जनवरी से आंदोलन की चेतावनी

कर्मचारी परिषद ने 3 दिसंबर को चेतावनी दी थी कि अगर दिसंबर तक पे कमीशन की अधिसूचना नहीं आई तो

10 जनवरी से कड़ा आंदोलन शुरू होगा। बांग्लादेश के मीडिया आउटलेट बीडी न्यूज 24 की रिपोर्ट के मुताबिक, परिषद के प्रधान सचिव निजामुद्दीन अहमद ने वित्तीय सलाहकार को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें कर्मचारियों ने यह चेतावनी दी। ज्ञापन के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को मौजूदा अंतरिम सरकार द्वारा बनाए गए नेशनल पे कमीशन-2025 से बहुत उम्मीदें थीं।

न्यूयॉर्क को कैसे चुना गया संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का स्थायी घर! जानें 11 दिसंबर 1946 की वो ऐतिहासिक कहानी

NEWS AGENCY

न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को एक ऐसा निर्णय लिया जिसने भविष्य की वैश्विक राजनीति को नई दिशा दी। न्यूयॉर्क शहर को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का स्थायी घर चुना गया। यह सिर्फ एक जगह तय करने का निर्णय नहीं था, बल्कि युद्धोत्तर विश्व को स्थायी शांति और संवाद के मंच की तलाश में लिया गया ऐतिहासिक कदम था। दूसरे विश्वयुद्ध की तबाही के बाद देशों को एक साझा संस्थान में लाना मानव इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक परियोजनाओं में से एक था, और इस परियोजना का केंद्र कहां होगा, उस पर महीनों बहस चली।

इन शहरों पर भी हुआ था विचार

शुरुआत में लंदन, जिनेवा, सैन फ्रांसिस्को और फ़िलाडेल्फ़िया जैसे शहरों पर भी विचार हुआ, लेकिन अंततः न्यूयॉर्क आगे आया। इस फैसले के पीछे कई राजनीतिक संकेत थे। अमेरिका नई महाशक्ति के रूप में उभर चुका था और संयुक्त राष्ट्र की मेजबानी उसकी बढ़ती वैश्विक भूमिका का प्रतीक बन सकती थी। वॉरेन आर. ऑस्टिन ने बनाया



माहौल इसी दौर में अमेरिका के प्रतिनिधि वॉरेन आर. ऑस्टिन सबसे सक्रिय चेहरा बनकर उभरे। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में ऑस्टिन ने महासभा के भीतर और बाहर न्यूयॉर्क के समर्थन में लगातार माहौल बनाया। उन्होंने देशों को यह भरोसा दिलाया कि न्यूयॉर्क न सिर्फ सुविधाओं और सुरक्षा के लिहाज से बेहतर है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संवाद के लिए एक स्वाभाविक केंद्र बन सकता है।

द यूनाइटेड नेशंस: अ हिस्ट्री किताब में जिक्र, उनकी इस भूमिका का विस्तृत जिक्र स्टेनली मीस्लर की प्रसिद्ध पुस्तक "द यूनाइटेड नेशंस: अ हिस्ट्री" में मिलता है,

जहां कहा गया है कि यदि अमेरिका के राजनयिकों ने, विशेषकर ऑस्टिन ने, लगातार लॉबिंग न की होती, तो यूएन मुख्यालय शायद किसी और शहर में होता। रॉकफेलर जूनियर ने दान की थी जमीन

इस राजनीतिक प्रयास को निर्णायक मोड़ मिला तब, जब जॉन डी. रॉकफेलर जूनियर ने ईस्ट रिवर के किनारे लगभग साढ़े आठ मिलियन डॉलर की सहायता से वह जमीन खरीदकर संयुक्त राष्ट्र को दान दे दी, जिस पर आज यूएन की प्रतिष्ठित कांच की इमारतें खड़ी हैं। रॉकफेलर का यह निजी योगदान महासभा के लिए अंतिम निर्णय जैसा था, जिसने न्यूयॉर्क को सबसे व्यावहारिक और आकर्षक विकल्प बना दिया।

WORLD NEWS | अब सोशल मीडिया देखकर मिलेगी अमेरिका में एंट्री,

अब सोशल मीडिया देखकर मिलेगी अमेरिका में एंट्री, H-1B वीजा के लिए 15 दिसंबर से नया नियम, भारतीयों पर कैसा असर?

वॉशिंगटन | अमेरिका ने H-1B वीजा के लिए आवेदकों के सोशल मीडिया हैंडल की गहन जांच करने का ऐलान किया है। यह जांच 15 दिसंबर से शुरू की जाएगी। इसके तहत एंटी-अमेरिका पोस्ट करने वाले आवेदकों के वीजा आवेदनों को खारिज किया जा सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने यह फैसला हाल में हुए फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शनों के बाद किया है। इस दौरान अमेरिका के कई प्रमुख विश्वविद्यालयों में कानून-व्यवस्था की स्थिति उपस्थित हो गई थी। अमेरिका का आरोप है कि इन आंदोलनों को अलग-अलग तरह की वीजा पर आए विदेशी नागरिकों ने भड़काया था।

वीजा के लिए सोशल मीडिया हैंडल देना अनिवार्य

ट्रंप प्रशासन के नए नियम के तहत H1B वीजा के लिए आवेदन करते समय आवेदक को अपने सोशल मीडिया हैंडल को सबमिट करना जरूरी है। आवेदकों को अमेरिकी कॉन्सुलेट से ईमेल मिले हैं, जिसमें बताया गया है कि उनके इंटरव्यू कैसिल कर दिए गए हैं या शायद अगले साल के लिए टाल दिए गए हैं। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट सभी वीजा एप्लिकेंट्स की पूरी वेटिंग करता है, जिसमें F, M, और J नॉन-इमिग्रेंट क्लासिफिकेशन में सभी स्टूडेंट और एक्सचेंज विजिटर एप्लिकेंट्स का ऑनलाइन प्रेजेंस रिव्यू शामिल है।



भारतीयों के लिए बड़ा झटका

नए नियम भारतीय H-1B वीजा होल्डर्स के लिए सबसे नया झटका है। इस वीजा को पाने वालों में भारतीयों की तादाद 70% से अधिक है। ट्रंप ने पहले अपने “अमेरिका फर्स्ट” एजेंडा के तहत H-1B प्रोग्राम पर कई कड़े प्रतिबंध

लगाए थे। पिछले साल धीरे-धीरे किए गए इन बदलावों का असर भारतीय माइग्रेंट्स पर ज्यादा पड़ा, जो H-1B वीजा पर अमेरिका में आने वाले स्किल्ड वर्कर्स का सबसे बड़ा ग्रुप थे। एच1बी वीजा के लिए नया नियम क्यों?

नए निर्देश के मुताबिक सभी H-1B और H-4 एप्लिकेंट को “अपने सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर प्राइवसी सेटिंग्स को पब्लिक करना होगा।” नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इससे स्टेट डिपार्टमेंट “सभी उपलब्ध जानकारी” का इस्तेमाल करके उन वीजा एप्लिकेंट्स की पहचान कर पाएगा जो “इनएडमिशनैबल” हैं, या जो “US नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं”। इसमें कहा गया है, “हर वीजा एडजुडिकेशन एक नेशनल सिक्योरिटी डिंसीजन होता है।” नए नियम 15 दिसंबर से लागू होंगे।

भारत में अमेरिकी दूतावास ने क्या कहा

भारत में US एम्बेसी ने कहा कि जो कोई भी पहले से तय तारीख पर इंटरव्यू के लिए आएगा, उसे एंट्री नहीं दी जाएगी क्योंकि उसने एप्लिकेंट्स से नए स्लॉट बुक करने की अपील की है। उसने कहा, “अगर आपको कोई ईमेल मिला है जिसमें बताया गया है कि आपका वीजा अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल कर दिया गया है, तो मिशन इंडिया आपकी नई अपॉइंटमेंट तारीख पर आपकी मदद करने के लिए तैयार है।”

ज्येष्ठों के सम्मान में भव्य स्वास्थ्य शिविर कल से; आयुष्मान कार्ड भी निःशुल्क

नांदेड | फेस्कॉम के 45वें स्थापना दिवस अवसर पर नांदेड के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुक्रवार, 12 दिसंबर को निःशुल्क सर्वरोग निदान एवं उपचार शिविर का आयोजन किया गया है। सहयोग वरिष्ठ नागरिक संघ, वजीराबाद वरिष्ठ नागरिक संघ और फेस्कॉम उत्तर मराठवाड़ा प्रादेशिक विभाग संयुक्त रूप से यह उपक्रम आयोजित कर रहे हैं। विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को निःशुल्क आयुष्मान भारत कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा।

शिविर का शुभारंभ सुबह 10.30 बजे वजीराबाद चौक स्थित वैद्य अस्पताल के डॉ. दादारावजी वैद्य सभागृह में होगा। उद्घाटन समाजकल्याण विभाग के सहायक आयुक्त शिवानंद मिनगिरे करेंगे, जबकि अध्यक्षता डॉ. हंसराज वैद्य करेंगे।

इस मौके पर डॉ. सुधीर देशमुख (अधिष्ठाता, सरकारी मेडिकल कॉलेज) और जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय पेरके की विशेष उपस्थिती रहेगी।

शिविर की प्रमुख सुविधाएँ

- सभी रोगों का निःशुल्क परीक्षण व उपचार
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामूहिक जन्मदिन समारोह
- इंजि. वामन गाजरे व प्रकाश पत्तेवार की टीम द्वारा निःशुल्क आयुष्मान कार्ड
- स्वामी समर्थ मंदिर समिति की ओर से नाश्ता व चाय
- आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर

सभी वरिष्ठ नागरिकों से इस सेवा का लाभ लेने की अपील...

डॉ. हंसराज वैद्य, प्रभाकर कुंदूरकर, गिरीश बाराले, रामचंद्र कोटलवार, माधवराव पवार काटकलंबेकर, एड. एम. जेड. सिद्दीकी, डॉ. लक्ष्मी पुरणशेटीवार, डॉ. पुष्पा कोकील, डॉ. अंजली चौधरी, सौ. रश्मी वडवलकर, पवन जगडमवार व अन्य सदस्यों ने संयुक्त रूप से की है।



